न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र ट्रांसफर
संख्याः 36/2021
दायर दिनांकः 18.08.2021
निर्णय दिनांक 18.11.2022

—:अनवानः—

1. श्री कृष्ण जोशी पिता श्री पुरषोतम जोशी निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद
2. श्री पुरषोतम जोशी पिता श्री विजयराज जोशी निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद

—— **प्रार्थीगण**

—: बनाम :—

1. श्री पदमेश पिता श्री गोकुलानन्द तेलंग निवासी हाउसिंग बोर्ड, राजसमन्द
2. श्री भगवती लाल पिता श्री बद्रीलाल जोशी निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद
3. श्री अतुल पिता कमल किशोर राठी निवासी पंचवटी कॉम्पलेक्स, कांकरोली
4. श्रीमती मंजु देवी पत्नि अशोक कुमार जाटव निवासी सुभाष नगर, 100 फीट रोड, राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द
6. असिस्टेन्ट कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
7. असिस्टेन्ट कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

—— ***अप्रार्थीगण***

याचिका अर्न्तगत धारा 235 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थितः—

1— श्री सम्पत लाल लडढ़ा अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री अतुल पालीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02
3— अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप
4— अप्रार्थी संख्या 04 स्वयं उपस्थित
5— राजकिय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा अप्रार्थी संख्या 05 से 07

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने सहायक कलक्टर राजसमन्द के यहॉ अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद एवं टी.आई. याचिका तथा अन्य कार्यवाही प्रस्तुत की, जिसमें विपक्षी संख्या 4 श्रीमती मंजु भी पक्षकार थी। मूलवाद के नंबर 20/2021 रे0वाद एवं टी.आई. प्रार्थना पत्र 23/2021 थें। उक्त कार्यवाही सहित निम्नांकित प्रकरण सहायक कलक्टर राजसमन्द के यहा विचाराधीन थें

क्र. सं.	ऑन लाईन नं0	मु.नं.	किस्म	अनवान
1	2021/00019	23/2021	प्रार्थना पत्र	कृष्ण जोशी बनाम पदमेश
2	2021/00059	19/2021	वाद	भगवतीलाल बनाम रेखा, पुरूषोत्तम
3	2021/00060	24/2021	वाद	भगवतीलाल बनाम पुरूषोत्तम
4	2021/00061	50/2021	प्रार्थना पत्र	भगवतीलाल बनाम पुरूषोत्तम
5	2021/00058	20/2021	प्रार्थना पत्र	कृष्ण जोशी बनाम पदमेश
6	2020/00196	104/2020	प्रार्थना पत्र	अतुल बनाम पदमेश
7	2021/00024	38/2021	प्रार्थना पत्र	भगवतीलाल बनाम रेखा, पुरूषोत्तम

उक्त समस्त प्रकरण आप न्यायालय ने न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द से न्यायालय सहायक कलक्टर रेलमगरा ट्रांसफर करने से पूर्व हम प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही दिया, अन्यथा हम वस्तुस्थिति बताते एवं प्रकरण ट्रांसफर की नौबत नही आती। श्री पुरूषोत्तम जी की उम्र 85 वर्ष की हैं तथा स्वयं चलने फि रने में असमर्थ हैं, पैरेलाईज है, तथा रेलमगरा जाकर केस लड़ना संभव नही हैं। न्यायालय ने प्रकरण इस कारण ट्रांसफर किए कि उपखण्ड अधिकारी जी राजसमन्द के पीठासीन अधिकारी जी श्री सुशील कुमार जी नहीं चाहते थे कि उनके कार्यालय में पदस्थापित श्री अशोक कुमार जाटव उनके कार्यालय में रीडर पद पर था, तथा उक्त प्रकरण में श्री अशोक कुमार की पत्नी मंजु भी पक्षकार थी। पारदर्शिता के हिसाब से श्री सुशील कुमार जी एस.डी.ओ. ने प्रकरण ट्रांसफर हेतु आप न्यायालय में लिखा था एवं शायद इसी कारण प्रकरण ट्रांसफर किए गए। जिस कारण से प्रकरण ट्रांसफर करने का आदेश हुआ यह कारण ही खत्म हो चुका है। विपक्षी संख्या 4 के पति श्री अशोक कुमार जाटव जो एस.डी.ओ. कोर्ट राजसमन्द में ही नौकरी करते थे उनकी दिनांक 17.05.2021 में ही मृत्यु हो चुकी है, अर्थात जिस वजह से केस ट्रांसफर किए गए, वह वजह ही खत्म हो गई, तो अब इन प्रकरणों को रेलमगरा सुनवाई करवाना न्यायहित में उचित नहीं है। बिना कारण प्रकरणों की सुनवाई रेलमगरा करवाना व्यय साध्य, श्रम साध्य व कठिनाई युक्त व खर्चीला है। न्याय शीघ्र सस्ता व सुलभ होना चाहिए। प्रकरण के पक्षकारान राजसमन्द जिला मुख्यालय के निवासी है सभी के लिए रेलमगरा जाना कष्टप्रद व खर्चीला है। यह कि पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रकरणों की रेलमगरा असिस्टेंट कलक्टर न्यायालय से पुनः राजसमन्द असिस्टेन्ट कलक्टर से मंगवाना। ट्रांसफर करना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थीगण को परेशानी होगी। प्रस्तुत याचिका सुनवाई की अधिकारिता धारा 235 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत आप न्यायालय को प्राप्त है ट्रांसफर की जानकारी जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह में होने पर यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर यह कार्यवाही प्रस्तुत की जा रही है। आप न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांकः प008( ) कोर्ट ट्रांसफर पत्रावली /2021/1500–1501 दिनांक 01.04.2021 द्वारा याचिका की पैरा संख्या 02 में वर्णित पत्रावलियों को न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर, रेलमगरा को भेजी गई, उन सभी पत्रावलियों की पुनः असिस्टेंट कलक्टर साहब, रेलमगरा से असिस्टेंट कलक्टर साहब, राजसमन्द के यहां ट्रांसफर करने की कृपा की जाए।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे बताया कि जिस कारण से प्रकरण ट्रांसफर करने का आदेश हुआ यह कारण ही खत्म हो चुका है। क्योकि विपक्षी संख्या 4 के पति श्री अशोक कुमार जाटव जो एस.डी.ओ. कोर्ट राजसमन्द में ही नौकरी करते थे, उनकी दिनांक 17.05.2021 में ही मृत्यु हो चुकी है, अर्थात जिस

न्यायालय जिला कलक्टर

वजह से केस ट्रांसफर किए गए, वह वजह ही खत्म हो गई, तो अब इन प्रकरणों को रेलमगरा सुनवाई करवाना न्यायहित में उचित नहीं है। आप न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांकः प008( ) कोर्ट ट्रांसफर पत्रावली 12021/1500–1501 दिनांक 01.04.2021 द्वारा याचिका की पैरा संख्या 02 में वर्णित पत्रावलियों को न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर, रेलमगरा को भेजी गई, उन सभी पत्रावलियों की पुनः असिस्टेंट कलक्टर साहब, रेलमगरा से असिस्टेंट कलक्टर साहब, राजसमन्द के यहां ट्रांसफर करने की कृपा की जाए।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने निवेदन किया कि याचिका के तथ्य स्वीकार हैं तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं।

अप्रार्थी संख्या 04 ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण से संबंधित मामलो को न्यायालय उपखण्ड कार्यालय राजसमन्द में ट्रांसफर कर दिया जावें। जिसमें प्रार्थी को कोई आपत्ति नही हैं। जिन आधार पर उक्त प्रकरण के अधीन मामले न्यायालय उपखण्ड कार्यालय रेलमगरा ट्रांसफर किये गये थे वह आधार अब प्रभावशील नही हैं। अतः सभी पत्रावलियों की पुनः असिस्टेंट कलक्टर साहब, रेलमगरा से असिस्टेंट कलक्टर साहब, राजसमन्द के यहां ट्रांसफर करने की कृपा की जाए।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा बहस के दौरान बताया कि श्री अशोक कुमार तत्कालीन रीडर, उपखण्ड कार्यालय, राजसमंद का देहान्त हो जाने से उक्त प्रकरण उपखण्ड कार्यालय रेलमगरा से उपखण्ड कार्याल राजसमंद स्थानान्तरण करना न्यायहित में उचित रहेगा ।

मैंने पत्रावली एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 4 श्रीमती मंजुदेवी के पति श्री अशोक कुमार तत्कालीन रीडर, उपखण्ड कार्यालय, राजसमंद की दिनांक 17.05.2021 को मृत्यु हो जाने से इस न्यायालय के आदेश क्रमांकः प.8( ) कोर्ट/ट्रांसफर पत्रावली/2021/500:501 दिनांक 01.04.2021 के अनुसरण में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पत्रांकः रीडर/कोर्ट/2021/77 दिनांक 22.07.2021 से प्र.सं. 23/2021, 19/2021, 24/2021, 50/2021, 20/2021, 104/2020 एवं 38/2021 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा से न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद को स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा एवं राजसमंद को लिखा जावे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर,
राजसमंद

आदेश आज दिनांक 18.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

जिला कलक्टर,
राजसमंद